जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण

प्रलिम्सि के लयि:

अनुच्छेद-16, डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामला, 1955

मेन्स के लयि:

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का आलोचनात्मक परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरयिाँ राज्य के "बच्चों" के लयि आरक्षति होंगी और इसके लयि कानूनी प्रावधान तैयार कयि जाएंगे।

प्रमुख बदुि

- **जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के वरिुद्ध तर्क:.**
  - भारत के संवधिान में अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरयिों में अवसर की समानता को संदर्भति करता है।
    - अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन कसिी भी पद पर नयिोजन या नयिुक्त िसे संबंधति वषियों में सभी नागरकिों के लयि अवसर की समानता होगी।
    - अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन कसिी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जात,ि लगि, उद्भव, जन्मस्थान, नवािस या इसमें से कसिी के आधार पर न तो कोई नागरकि अपात्र होगा और न उससे वभिेद कयिा जाएगा।
  - अधवािस और नवािस के आधार पर आरक्षण का अर्थ भेदभाव होगा क्योंक िमात्र न्यूनतम प्रस्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को उसके मौलकि अधकिारों से वंचति करता है।
  - इस तरह की संकीर्णता क्षेत्रीयता को प्रोत्साहति करती है और राष्ट्र की एकता के लयि खतरा है।

- **जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तर्क:**
  - अनुच्छेद 16(3), नवािस (न क िजन्म स्थान) के आधार पर सरकारी नयिुक्तयिों में प्रावधान करने की अनुमत िदेता है।
    - प्रायः कुछ राज्य स्थानीय लोगों के लयि सरकारी नौकरयिों को आरक्षति करने के लयि कानून में मौजूद खामयिों का उपयोग करते रहते हैं। इसके लयि वे भाषा या एक नश्चिति अवध िके लयि राज्य में नवािस/अध्ययन का प्रमाण जैसे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं।
    - महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा में नपिुण 15 वर्षों से राज्य में रहने वाले लोगों को पात्र माना जाता हैं।
    - जम्मू और कश्मीर में भी सरकारी नौकरयिाँ केवल "अधवािसयिों" के लयि आरक्षति है।
    - पश्चमि बंगाल में कुछ पदों पर भर्ती के लयि बंगाली में पढ़ना और लखिना आना एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है।
    - वर्ष 2019 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में लपिकिों और कारखाने की नौकरयिों में नजिी नयिोक्ताओं को कन्नड़ लोगों को "प्राथमकिता" देने के लयि एक अधसिूचना जारी की।
  - इस संदर्भ में अक्सर यह तर्क दयिा जाता है क िराज्य के नवािसयिों को अधमिान्य उपचार देने से राज्य के संसाधनों के सही आवंटन में मदद मलिेगी और लोगों को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने के लयि प्रोत्साहति कयिा जा सकेगा।
  - इससे पछिड़े राज्यों से महानगरों में लोगों के प्रवास को रोकने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है, जसिसे ऐसे शहरों पर बोझ कम हो जाता है।

अधिवास स्थिति और जन्म स्थान के बीच का अंतर

- डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के निर्णयानुसार, अधिवास या निवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है अर्थात् जन्म स्थान के विपरीत यह समय-समय पर बदल सकती है, परंतु जन्म स्थान निश्चित होता है।
- अधिवास का अर्थ है किसी व्यक्ति का स्थायी निवास।
- जन्म स्थान उन आधारों में से एक है जिस पर अधिवास का दर्जा दिया जाता है।

SC का निर्णय:

- वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक भर्ती अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन महिलाओं के लिये वरीयता निर्धारित की गई थी जो राज्य की "मूल निवासी" थी।
- कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले, 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'निवास' चाहे राज्य, ज़िले या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अधिमान्य आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता।
- संविधान विशेष रूप से जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में अधिवास आरक्षण को, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में, संवैधानिक माना है।

आगे की राह

- राज्य में जन्म लेने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण देने का कदम संवैधानिक समानता और बंधुत्त्व की भावना के विरुद्ध है। जैसाकि हमेशा देखा गया है इस तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय को न्यायपालिका द्वारा पलट दिया जाता है, अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है। संभवतः इस बार भी ऐसा ही हो।
- इसके अलावा सरकार गारंटी के रूप में रोज़गार प्रदान करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि एक प्राधिकरण है जो अपनी नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करता है। इस प्रकार के निर्णय लेते समय सरकार को संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reservation-based-on-place-of-birth